न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 85/2019
वाद अन्तर्गत धारा 88, 188,53 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. किशनलाल आत्मज उदेराम लुहार
2. रतनलाल आत्मज उदेराम लुहार
3. राजु आत्मज उदेराम लुहार
   सर्व निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मु0 प्रेम पुत्री उदेराम लुहार पत्नि भंवर लाल लुहार निवासी लखमणियास हाल निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. मु0 नोसर पुत्री उदेराम लुहार पत्नि भंवर लाल लुहार निवासी खांखलां हाल निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. नारायण लाल आत्मज उदयराम गुजर
2. हीरालाल आत्मज उदयराम गुजर
3. सुडी पत्नि गिरधारी गुजर
4. कस्तुरी पत्नि उदयराम धोबी
5. कंकु पत्नि भंवर जाट
   सर्व निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अधिवक्ता वादीगणः– श्री राजेन्द्र कुमार बलाई
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– .....

दिनांक 04.08.2020

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम लखमणियास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में खातेदार श्रीमती नंदु पत्नि उदेराम गुजर निवासी लखमणियास एवं प्रतिवादी संख्या तीन लगायत पांच के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि स्थित थी । जिसमें खातेदार श्रीमती नंदु गुजर एवं प्रतिवादी संख्या तीन व चार का संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा निहित था। जिसमें खातेदार नंदु गुजर का 1649.52 वर्ग गज हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिसके प्रमाण के लिये जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

यह कि खातेदार श्रीमती नंदु गुजर के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 825 में निहित उसके हिस्से में से वादीगण को माता श्रीमती रागी पत्नि उदेराम लुहार निवासी लखमणियारा तहसील साहाड़ा जिला भीलवाड़ा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2009 को 4669.84 वर्ग फीटयानि 4.34 एयर यानि 0.0434 हे0 यानि वादग्रस्त आराजी का 1/6 हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से ही उक्त क्रय शुदा हिस्से पर वादीगण की माता एवं वर्तमान में वादीगण का कब्जा निर्बाध निरन्तर रूप से चला आ रहा है। वादीगण की माता को नंदु गुजर द्वारा विक्रय किये गये 0.0434 हे0 भूमि के पड़ौस निम्न प्रकार हैः—

पूर्वः— आम रास्ता
पश्चिमः—लालसिंह जी की भूमि
उत्तरः— कस्तुरी पत्नि उदेराम जी धोबी को इसी आराजी में से बेचान शुदा भूमि
दक्षिणः— इसी आराजी का 0.13 हे0 शेष भाग

प्रमाण में विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2009 की छाया प्रति साथ प्रस्तुत है।

यह कि खातेदार नंदु गुजर की मृत्यु हो चुकि है। वादग्रस्त आराजी संख्या 825 का नामान्तरकरण संख्या 633 दिनांक 06.08.2018 की प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम पर दर्ज कर दिये जाने एवं वादीगण की माता श्रीमती रागी लुहार की मृत्यु दिनांक 09.01.2013 को हो जाने से तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में हिस्सा दर्ज नहीं वर्ग फीट में दर्ज होने के कारण राजस्व अधिकारियों ने वादीगण की माता के नाम नामान्तरणकरण फैसल नहीं किया जबकि वक्त क्रय से वादग्रस्त आराजी संख्या 825 के रकबे में से 0.0434 हेक्टेयर यानि वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से पर वादीगण काबिज चले आ रहे है।

यह कि वादग्रस्त आराजी का विक्रय शुदा हिस्सा भी प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या एक व दो उक्त हिस्से को अन्य को रहन , बय , बक्षीस करने को ऐलानिया धमकिया दे रहे है। जिससे रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर वादीगण को समान हक से वादग्रस्त आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि में से 0.0434 हे0 यानि वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से का ,खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

यह कि वादग्रस्त आराजी संख्या 825 में निहित वादीगण का 1/6 हिस्सा सामलाती दर्ज रेकार्ड रहने से वादीगण को लगान जमा कराने , अपने हिस्से की भूमि को विकसित करने, संपरिवर्तन कराने आदि में भारी अड़चन पैदा रहती है। जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजी संख्या 825 का मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन करवा अपने निहित 1/6 हिस्से (0.0434 हे0) का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खुलवाना चाहते है। इस हेतु यह विभाजन का वादपत्र प्रस्तुत कर रहे है।

यह कि वादग्रस्त आराजी का विक्रय शुदा हिस्सा भी प्रतिवादी संख्या एक व दो नाम दर्ज रेकार्ड हो जाने से उनके मन में फितुर आ गया और वे हम वादीगण की माता श्रीमती रागी लुहार को विकय शुदा भूमि को अन्य को रहन , बय , बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने एव हम वादीगण को हमारे कय शुदा हक व हिस्से से जबरन बेदखल करने पर आमादा हो रहे है।

2.

Scanned with CamScanner

जिससे वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना नितान्त आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी संख्या एक व दो वादीगण की माता द्वारा वादग्रस्त आराजी में से कय किये गये हिस्से की भूमि को किसी अन्य को रहन , बय , बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी से वादीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें।

अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम लखमनियास तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि के 0.0434 हे0 यानि वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से के वादीगण खातेदार काश्तकार है और वादीगण का नाम 1/6 हिस्से के राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज कराया जावें।

आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि का मौके पर कब्जे व हिस्सेनुसार विभाजन कराया जाकर हम वादीगण के निहित 0.0434 हे0 यानि 1/6 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की आज्ञप्ति बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावें।

कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम लखमनियास तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि में निहित वादीगण के 0.0434 हे0 यानि 1/6 हिस्से से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी में से कय किये गये हिस्से की भूमि को किसी अन्य को रहन , बय , बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.08.2019 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या एक लगायत पांच बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाब देही बंद की जाती है।

वादपत्र में साक्ष्य वादी प्रारंभ की गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में स्वंय अपने बयान पी.डब्ल्यू – 1, लेखबद्ध करा शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराता और अपने बयानो को भाग बनाता है। प्रस्तुत जमाबंदी 2071–74 पेश की प्रदर्श –1 , नक्शा ट्रेस प्रदर्श –2 , असल विकय पत्र प्रदर्श–3, विकय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श – 3 A, वादी की माता शंभु बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श –4 है। पेरोकार सरकार द्वारा जिरह की गई जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत बयान में बताया कि मेरी मां श्रीमती रामी पत्नी उदेराम लुहार ने श्रीमती बिन्दु पत्नि उदेराम गुर्जर से 04 बिस्वा जमीन खरीदी थी। जिस पर वर्तमान मै हम वादीगण का कब्जा है इस 04 बिस्वा भूमि पर हमने चारों तरफ बाड़ कर बाड़ा बना रखा है। मैंने प्रतिवादीगण नारायण , हिरालाल पिता उदेराम गुर्जर को खरीदी हुई जमीन को नाम पर कराने हेतु कहा तो उन्होंने कहा कि हमने तो नाम पर रजिस्ट्री करवा दी है। इसमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा जिरह के दौरान भी उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में बताये गये कथन का समर्थन किया एंव प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा दिलाने की प्रार्थना की।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

पैरोकार औपचारिक पक्षकार होने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में एक पक्षीय बहस सुनाये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस वादीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में स्वंय अपने बयान पी.डब्ल्यू – 1, लेखबद्ध करा शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराता और अपने बयानो को भाग बनाता है। प्रस्तुत जमाबंदी 2071–74 पेश की प्रदर्श –1 , नक्शा ट्रेस प्रदर्श –2 , असल विक्रय पत्र प्रदर्श–3, विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श – 3 A, वादी की माता शंभु बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श –4 अवलोकन कराते हुए प्रार्थना करता है कि खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम लखमनियास तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि के 0.0434 हे0 यानि वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से के वादीगण खातेदार काश्तकार है और वादीगण का नाम 1/6 हिस्से के राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज कराया जावें।

आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि का मौके पर कब्जे व हिस्सेनुसार विभाजन कराया जाकर हम वादीगण के निहित 0.0434 हे0 यानि 1/6 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की आज्ञप्ति बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावें।

यह कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम लखमनियास तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि में निहित वादीगण के 0.0434 हे0 यानि 1/6 हिस्से से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी में से क्रय किये गये हिस्से की भूमि को किसी अन्य को रहन , बय , बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें।

मैंने बहस अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया एंव वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव बयान गवाहान का परीक्षण किया गया व पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया गया। चूंकि वादपत्र प्रस्तुत दस्तावेज बयान गवाहन वादीगण के पक्ष में निहित है। अतएवं

:: आदेश::

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188,53 रा.टि.ए. बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम लखमनियास तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि में से 0.0434 हे0 यानि 1/6 हिस्से के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि में से 0.0434 हे0 यानि 1/6 हिस्से में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। तहसीलदार सहाड़ा को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि में से 0.0434 हे0 यानि 1/6 हिस्स का विभाजन कर अलग से खाता दर्ज किया जाकर वादीगण को कब्जा सिपूर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2020 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
(उपखण्ड अधिकारी)
सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 85/2019
वाद अन्तर्गत धारा 88, 188,53 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. किशनलाल आत्मज उदेराम लुहार
2. रतनलाल आत्मज उदेराम लुहार
3. राजु आत्मज उदेराम लुहार
   सर्व निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मु0 प्रेम पुत्री उदेराम लुहार पत्नि भंवर लाल लुहार निवासी लखमणियास हाल निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. मु0 नोसर पुत्री उदेराम लुहार पत्नि भंवर लाल लुहार निवासी खांखलां हाल निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. नारायण लाल आत्मज उदयराम गुजर
2. हीरालाल आत्मज उदयराम गुजर
3. सुडी पत्नि गिरधारी गुजर
4. कस्तुरी पत्नि उदयराम धोबी
5. कंकु पत्नि भंवर जाट
   सर्व निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार बलाई एडवोकेट, पेरोकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 04.08.2020 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ——×—— और इस वाद के खर्च लेखे ——×—— रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ——×—— प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ——×—— द्वारा ——×—— को दी जाए।

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188,53 आ.टि.ए. बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम लखमनियास तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि में से 0.0434 हे0 यानि 1/6 हिस्से के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि में से 0.0434 हे0 यानि 1/6 हिस्से में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। तहसीलदार सहाड़ा को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी संख्या 825 रकबा 0.26 हे0 भूमि में से 0.0434 हे0 यानि 1/6 हिस्सा का विभाजन कर अलग से खाता दर्ज किया जाकर वादीगण को कब्जा सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना–अपना वहन करें।

उपरोक्तानुसार भूमि वादीयागण के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्से अनुसार दर्ज की जावें खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करें।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर (भीलवाड़ा)(राज.)

डिक्री आज दिनांक 04.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर (भीलवाड़ा)(राज.)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.08.04 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: